

क्रमांक /एन एच एम संघ/2025/57

दिनांक- 31.07.2025

प्रति,

- 1- मुख्य सचिव छग शासन
- 2- सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छग शासन
- 3- संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ छग
- 4- मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छग
- 5- समस्त जिला कलेक्टर छग
- 6- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक छग
- 7- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छग
- 8- समस्त अस्पताल अधीक्षक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल छग
- 9- समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छग
- 10- समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी छग

विषय: सोलह हजार एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित माँगों के निराकरण न होने की स्थिति में दिनांक

18.08.2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने सूचना पत्र।

महोदय,

अवगत होना चाहेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) के अंतर्गत 16 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यह राजधानी रायपुर में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े डॉ अंबेडकर अस्पताल से लेकर प्रदेश के सुदूर सुकमा ,बीजापुर जिलों के भीतर बसे गाँवों में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक में छग की आम जनता को पूरी निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। कोरोना काल मे जान पर खेल कर हमने राज्य की जनता की सेवा की है जिसमें हमारे कई साथी काल- कवलित हो चुके हैं सरकार ने स्वयं हमें कोरोना योद्धा कहा। पर राज्य की विडंबना यह है कि अनुकम्पा नीति के अभाव में आज उनके परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं है।

बीमा पेंशन जैसी प्राथमिक सुविधाओं से वंचित विगत 20 वर्षों से एन एच एम कर्मचारी अपनी सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार हेतु मांग करते आ रहे हैं। वर्तमान सरकार के चुनावी घोषणा में उल्लेखित मोदी की गारंटी अंतर्गत

हमारी समस्याओं के समाधान का वादा किया गया है। अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया जाता रहा है -

- 1- संविलियन एवं स्थायीकरण
- 2- पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
- 3- ग्रेड पे का निर्धारण
- 4- कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता
- 5- लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि
- 6- नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण
- 7- अनुकम्पा नियुक्ति
- 8- मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा
- 9- स्थानांतरण नीति
- 10- न्यूनतम 10 लाख कैशलेस चिकित्सा बीमा

बहुत दुःखद स्थिति है कि, 150 से अधिक बार शासन के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री सहित अन्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों सहित उच्च अधिकारियों को कई बार संघ द्वारा आवेदन, निवेदन किया गया। शांति पूर्ण प्रदर्शन एवं वार्ताएं भी की गई हैं लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे मांगों की अब तक कोई भी ठोस सुनवाई नहीं हुई है। इस वर्ष 1 मई मजदूर दिवस पर मिशन संचालक महोदय से चर्चा पश्चात कहा गया कि, एन एच एम स्तर की मांगों को एक माह के भीतर निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही 14 जुलाई को भी नीतिगत बिंदुओं को छोड़ कर अन्य मांगों का निराकरण हेतु एक बार पुनः कहा गया परन्तु आज पर्यन्त तक कुछ नहीं किया गया।

मणिपुर राज्य में एन एच एम कर्मचारी नियमित कर दिए गए, बिहार राज्य में पब्लिक हेल्थ कैडर को स्वीकार किया गया। बगल के सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश में समान काम समान वेतन, पे स्केल, अनुकम्पा नियुक्ति, नई पेंशन स्कीम, जॉब सुरक्षा, नियमित पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं किंतु छग के एन एच एम कर्मचारी आज 20 साल बाद भी अपने सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को लेकर अधर में हैं तथा सरकार एवं प्रशासन के द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ही 1.50 लाख शिक्षकों का संविलियन किया गया था। कुछ समय पूर्व ही सेवा से पृथक ढाई हजार शिक्षकों को शासन ने सहृदयता दिखाते उनकी नौकरी की सुरक्षा की है। किंतु 20 वर्षों से हम एन एच एम कर्मी जो राज्य की जनता की सेहत की देखभाल कर रहे हैं

आज तक प्रतीक्षा में हैं।

पूर्व के अपने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन में हमने राज्य की आम जनता की सेहत को देखते हुए नवजात शिशुओं के देखभाल केंद्र (SNCU) को बाहर रखा जिससे किसी शिशु की सेहत पर आँच न आने पाए उसके जीवन पर खतरा न हो। जनता का ध्यान रखते हुए आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया।

परन्तु शासन-प्रशासन की इस उपेक्षा एवं अनदेखी, बार बार ज्ञापन देने से भी कोई सुनवाई न होने पर आज समस्त एन एच एम संविदा कर्मचारी निराश, क्षुब्ध एवं आक्रोशित हैं। हमारी आशाओं और धैर्य की परीक्षा अब असहनीय होती जा रही है। इस अनिश्चित स्थिति के चलते हम यह सूचित करते हैं कि, यदि दिनांक 15.08.2025 तक हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय या कार्यवाही नहीं की जाती है, तो समस्त एनएचएम संविदा कर्मचारी दिनांक 18.08.2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे। शासन की बेरुखी से इस बार आन्दोलन में एस एन सी यू सहित राज्य की सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधा बाधित होने का पूर्ण जिम्मेदार शासन-प्रशासन स्वयं होगा।

आग्रह है कि, एन एच एम कर्मियों के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए अविलंब सकारात्मक एवं ठोस कार्यवाही की जाए, जिससे हमारी सेवाओं में स्थायित्व एवं आत्मविश्वास आए और हम जन स्वास्थ्य सेवाओं में पहले से भी अधिक तन-मन से सेवा दे सकें।

आपकी शीघ्र एवं संतोषजनक कार्यवाही की अपेक्षा करते हुए प्रदेश के 16 हजार एन एच एम कर्मी।



डॉ अमित कुमार मिरी
प्रदेश अध्यक्ष

